

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या:-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013..... /परि0, पटना दिनांक....

निम्नलिखित जिला परिवहन पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके नाम के समक्ष अंकित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है:-

क्र० सि०	पदाधिकारी का नाम/पदस्थापन का जिला	अतिरिक्त प्रभार वाले जिला का नाम
1	2	3
1	श्री नजीर अहमद, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर	जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका
2	श्री जय प्रकाश नारायण, जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा	जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल
3	श्री दिवाकर झा, जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर	जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर
4	श्री परुण कुमार मिश्र, जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली(हाजीपुर)	जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर
5	गो० खुशीद आलम अंसारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, गया	जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद

2. उपरोक्त अतिरिक्त प्रभार वाले जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब अतिरिक्त प्रभार वाले पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

6941

संख्या:-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013..... /परि0, पटना दिनांक....

25/11/16

प्रतिनिधि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ महालेखाकार, बिहार पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आगत सचिव, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/ उपरोक्त सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/ सभी संबंधित जिला कारागार पदाधिकारी/ सभी संबंधित मोटरयान निरीक्षक/ सभी संबंधित प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा परिवहन विभाग की सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या:-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013..... /परि0, पटना दिनांक.....

परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-6283 दिनांक-21.10.2016 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण(छपरा) के पद पर पदस्थापित श्री प्रीतेश्वर प्रसाद, बि0प्र0से0 का सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिये जाने के फलस्वरूप जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण (छपरा)के रिक्त पद पर जिला पदाधिकारी, सारण(छपरा) के पत्रांक-2699 दिनांक-04.11.2016 द्वारा श्री अंजय कुमार राय, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, छपरा को उक्त पद का अतिरिक्त प्रभार देने की अनुशंसा की गई है।

जिला पदाधिकारी, सारण(छपरा) से प्राप्त उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री अंजय कुमार राय, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण (छपरा) के कार्यों के सम्पादन के लिए प्राधिकृत किया जाता है। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।


ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ई-नेज ज्ञापांक-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013.6542/परि0, पटना दिनांक..... 25/11/16

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी,/ संबंधित संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/श्री अंजय कुमार राय, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् छपरा/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित मोटरयान निरीक्षक/संबंधित प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा परिवहन विभाग की सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।